



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2023/ 709

-:: अधिसूचना ::-

दिनांक :- 25/5/23

यह अधिसूचित किया जाता है कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.04.2023 में की गई अनुशंसा एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 1165/62/आउशि/शा-5'अ'/2022 भोपाल, दिनांक 05/09/2022 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एवं परिप्रेक्ष्य में स्नातक प्रथम वर्ष में आनर्स पाठ्यक्रमों को सामान्य पाठ्यक्रम में परिवर्तित करते हुए विद्यार्थियों का विषय परिवर्तन कराये जाए।

संलग्न - यथोपरि

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्मिलन/2023/ 710

दिनांक :- 25/5/23

प्रतिलिपि :-

01. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, शा.माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन।
02. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी, समस्त अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
03. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र।
04. कुलानुशासक/विद्यार्थी कल्याण विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
05. प्रभारी ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
06. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन कृपया अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रसारित करें।
07. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
08. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निज सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 1165/62/आउशि/शा-5'अ'/2022

भोपाल, दिनांक 05/09/2022

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषय— ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया 2022-23 के विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन के संबंध में निर्देश।

संदर्भ— मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक 330/48/सीसी/2022/अड़तीस, दिनांक 21.05.2022

—0—


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश के द्वारा सत्र 2022-23 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धान्त, अकादमिक कैलेंडर एवं ऑनलाईन प्रवेश समय-सारणी एवं कार्यालयीन आदेशों के द्वारा सी.एल.सी. चरण में प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त की कण्डिका 28.4 में अंकित प्रावधान के अनुसार ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय-सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय/कक्षा/विषय में उपलब्ध सीट रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जा सकती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक प्रथम वर्ष में आर्नस पाठ्यक्रम की स्वीकृत सीट संख्या को सामान्य पाठ्यक्रम में परिवर्तन करते हुए प्रवेशित विद्यार्थियों का विषय परिवर्तन कराया जाए।

निर्धारित समय-सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता / गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर केवल प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दिनांक 06.09.2022 से दिनांक 21.09.2022 तक ई-प्रवेश प्रक्रिया के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन किये जा सकेंगे। इस संबंध में महाविद्यालय द्वारा विधिवत सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदनानुसार कार्यवाही की जानी है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का नवीन प्रवेश मान्य नहीं होगा।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)



(डॉ० धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

निरन्तर.....2,


//2//

पृ. क्रमांक: 1166/62/आउशि/शा-5'अ'/2022
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 05/09/2022

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
5. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
6. सी.ई.ओ., एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल, डी.बी.मॉल, एम.पी.नगर, भोपाल।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल